राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2275/2008/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

श्री राम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह
ग्राम–राजनौता, तहसील–कोटपुतली, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित ::

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 165/RVAT/एनआरडी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 5.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट–शाहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2007 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(11) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 2,51,940/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.01.2007 को वाहन संख्या डी.एल.–1जीबी/1144 को चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में लदे माल मूंग से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक का उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान कलमबद्ध करते हुए नियमानुसार वाहन को डिटेन किया एवं वाहन चालक/माल प्रभारी को अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् वास्ते सत्यापन माल प्रेषक एवं प्रेषिति नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि को वाहन चालक/माल प्रभारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ.पी.माहेश्वरी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि परिवहनित माल चार किसानों का है, इस कारण से इस पर कोई कर देयता नहीं बनती है तथा अपने कथन के समर्थन में चारों किसानों के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत कुलथाना के उप–सरपंच

लगातार..................2

का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ यह कथन करते हुए कि वाहन के साथ चारों किसानों के नाम की बिल्टी तथा खसरा गिरदावरी की नकल भी थी, जो पुनः जवाब के साथ मैसर्स हंसिका ट्रॉसपोर्ट कम्पनी दिल्ली की गुड्स रिसीट संख्या 577 दिनांक 01.01.2007 तथा नकल गिरदावरी ग्राम भिण्डर के पटवारी कुलथाना द्वारा पी–35–53/31.12.2006 प्रस्तुत है। प्रस्तुत जवाब तथा जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी को कर चोरी की नियत से बिना दस्तावेजों/मिथ्या दस्तावेजों के जरिये परिवहन करने का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् शास्ति रूपये 2,51,940/– का आरोपण आदेश दिनांक 11.01.2007 से किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 05.03.2008 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा परिवहनित माल 162 बैग मूंग बिना दस्तावेज परिवहनित करते हुए चैक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री रामसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि "गांव जहां से माल भरा वो गांव जोधपुर से 15 km. जयपुर मार्ग पर था, वहां से वाहन भरा है। अन्य कोई बिल बिल्टी व चालान नहीं है, न ही प्रस्तुत कर सकता हूं। न ही मेरे खलासी श्री जोगेन्द्र के पास ऐसा कोई दस्तावेज है। माल मालिक का लड़का मेरे साथ वाहन में ही है। माल को राजधानी धर्मकांटा, बकोली में खाली होगा। वाहन को चैक पोस्ट पर नहीं रोकने व माल की घोषणा नहीं करने बाबत पूछे जाने पर मैंने बताया कि मुझे 500 Rs. के ईनाम का कहा था, तथा दिल्ली पर माल खाली करने पर ईनाम मिलेगा।" वाहन चालक के बयान अनुसार माल मालिक का लड़का श्री सुरेश पुत्र श्री सांभाराम जी पटेल माल के साथ था,

लगातार..................3

जिसके बयान लिये जाने पर उसने कथन किया कि "वाहन में माल कहां से भरा है इस बारे में मैं निश्चय नहीं बता सकता। मुझे वाहन में श्री (नाम पता नहीं) जो मेरे रिश्ते में मामा हैं ने जैतपुरा से बिठाया है तथा कहा है कि दिल्ली घूम कर आ जा। मुझे माल के बाबत पूछने पर मैंने जाहिर किया कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है।" उक्त बयानों से स्पष्ट है कि माल जोधपुर से भरा गया है तथा बिना दस्तावेजों के परिवहनित किया जा रहा था। माल की तौल पर्ची मारूति वे ब्रिज, बासनी, जोधपुर की पेश की गयी, जिससे भी स्पष्ट होता है कि माल जोधपुर से भरा गया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ काश्तकार श्री अमरा राम, श्री मगनाराम, श्री अम्बाराम पुत्रगण श्री रावतराम व श्री भोमाराम पुत्र श्री गुलाराम निवासी ग्राम भिण्डर तहसील रोहिट जिला पाली के शपथपत्र एवं खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि ग्राम भिण्डर तहसील रोहिट जिला पाली की है। इस प्रकार दस्तावेज व बयान परस्पर विरोधाभासी हैं, जिससे माल करापवंचन की मंशा से बिना दस्तावेज के परिवहनित किया जाना प्रमाणित होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(11) के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति आदेश अपास्त किया गया है, जो अपास्तनीय पाया जाता है।

6. उक्त विवेचन अनुसार परिवहनित माल काश्तकार का होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है एवं सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् आरोपित शास्ति की वसूली की कार्यवाही करें।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष